राजस्थान सरकार परिवहन विभाग

क्रमांकः प.७(२७३)परि/नियम/मु./२००७/ १५५२। जयपुर, दिनांक : 💌 🗸 🖯 🧷 १८००० । १५५२।

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 211 के साथ पिटत धारा 138 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती है। उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप—धारा (1) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित प्रारूप नियम, उनसे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं और उन्हें इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर, उस तारीख से, जिसको राजपत्र में इस अधिसूचना की यथा—प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करायी जाती हैं, पन्द्रह दिवस की कालाविध के अवसान के पश्चात्, विचार किया जायेगा।

किसी भी ऐसे आक्षेप या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर यथा विनिर्दिष्ट कालाविध के अवसान के पूर्व प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। ऐसे आक्षेप या सुझाव परिवहन आयुक्त और शासन सचिव, परिवहन विभाग, सहकार मार्ग, जयपुर को सम्बोधित किये जाने चाहिए।

प्रारूप नियम

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान (चतुर्थ प्रारूप संशोधन) नियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. नियम 8.8 का संशोधन.— राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 8.8 के विद्यमान उप-नियम (1-क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"(1—क) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, चैक पोस्ट पर दी जाने वाली सेवाओं जैसे तोल, डाटा एंट्री, माल की लदाई और उतराई, पार्किंग और अन्य सहबद्ध सेवाओं के लिए सेवा प्रभार विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो ऐसे चैक पोस्ट पर यान के प्रभारी द्वारा संदत्त किये जायेंगे। भिन्न—भिन्न चैक पोस्टों के लिए भिन्न—भिन्न सेवा प्रभार विनिर्दिष्ट किये जा सकेंगे।"

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ. मनीषा अरोड़ा) संयुक्त शासन सचिव (मु.)



क्रमांकः प.7(273)परि/नियम/मु./2007/1493/-91 जयपुर, दिनांकः ०२/८/16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक दिनांकमें प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
- 2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 4. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
- महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
- विधि (संहिताकरण) विभाग, जयपुर।
- 9. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
- 10. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
- 11. प्रादेशिक / अति. प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी.....समस्त ।
- 12. समस्त प्रभारी अधिकारी कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग।
- 13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (मु.)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN TRANSPORT DEPARTMENT

No. F 7(273)/Pari/Rules/H.Q./2007/ 14930

Jaipur, Dated: 02/8/16

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 138 read with section 211 of the Motor Vehicles Act,1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government proposes to make the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990. The following draft rules are hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given to them that the said draft would be taken into consideration after the expiry of a period of fifteen days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period as specified above shall be considered by the State Government. Such objections and suggestions should be addressed to the Transport Commissioner and Principal Secretary to the Government, Transport Department, Sahkar Marg Jaipur.

Draft Rules

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles (Fourth Draft Amendment) Rules, 2016.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- **2. Amendment of rule 8.8.** The existing sub-rule (1-A) of rule 8.8 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990 shall be substituted by the following, namely:-
- "(1-A) The State Government may, by notification in the Official Gazette, specify the service charges for the services such as weighment, data entry, loading and unloading of goods, parking and other allied services offered at the check post which shall be paid by the In-charge of the vehicle at the such check post. Different service charges may be specified for the different check posts."

By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora) Joint Secretary to the Government



Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 2. P.S. to Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
- 3. S.A. to Hon'ble Transport Minister, Rajasthan, Jaipur.
- 4. P.S. to Hon'ble State Minister, Department of Transport, Rajasthan, Jaipur.
- 5. P.S. to Principal Secretary Finance, Rajasthan, Jaipur.
- 6. P.S. to Transport Commissioner and Principal Secretary to the Government of Rajasthan, Jaipur.
- 7. Accountant General (Commercial & Receipt Audit) Rajasthan, Jaipur.
- 8. Law (Codification) Department, Jaipur.
- 9. All Head Quarter Officers of Transport Department, Jaipur.
- 10. Shri Sanjay Singhal, S.A. for updating departmental website.
- 11. All Regional/Addl. Regional District Transport Officers.
- 12. All Officer In-charge Tax Collection Centres of Transport Department.

13. Guard file.

Joint Secretary to the Government